न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 43/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/68

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन।		मालूराम पुत्र दल्लाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती अम्बेडकर चौक मारोठ तहसील नावां जिला डीडवाना–कुचामन।

दावा अन्तर्गत भु–राजस्व अधिनियम के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से तहसीलदार नावां
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मनफूल खां

–:आदेशः– दिनांकः **21.05.2024**

प्रार्थी की ओर से निवेदन है किः–

1. मौजा ग्राम मारोठ के साबिक खसरा नम्बर 1620/653 रकबा 0.36 हैक्टर भूमि अप्रार्थी मालूराम पुत्र दल्लाराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को कृषि प्रयोजनार्थी भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक/राजस्व/02/32–34 दिनांक 26.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी मालूराम पुत्र दल्लाराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को राजस्व रिकार्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया था। अप्रार्थी मालूराम पुत्र दल्लाराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को ना.सं. 414 दिनांक 05.01.2003 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया था। मालूराम पुत्र दल्लाराम जाति रेगर, निवासी मारोठ आज दिन तक गैर खातेदार चला आ रहा है।
2. अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 26.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम [illegible] के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत [illegible] 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना आवश्यक था [illegible] अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की है, जो खसरा गिरदावरी संवत 2062 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

3. अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर भूमि पहाडी के तलहटी मे है। जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं हैं जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
4. अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना–पत्र में दिया गया है वह सभी जीवीत एवं व्यस्क है एवं पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे है। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र सलंग्न है
5. अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की हैं।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, आवंटन आदेश सम्पूर्ण गिरदावरी की प्रमाणित नकले व उपर्युक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन दिनांक 26.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री मनफुल खां ने वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु कई अवसर देने के बाद भी वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया। अतः दिनांक 11.03.2024 को जवाब बन्द किया गया।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर आराजी नं0 1620/653 रकबा 0.36 हैक्टर अप्रार्थी मालुराम पुत्र दल्लाराम निवासी मारोठ को राज0 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत कृषि कार्य हेतु भूमि आंवटित की गई थी।

जमाबंदी ग्राम मारोठ सम्वत् 2074–77 अनुसार खसरा नम्बर 1620/653 रकबा 0.36 हैक्टयर किस्म जमीन बा. प्रथम अप्रार्थी मालुराम पुत्र दल्लाराम सा0 देह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मारोठ के खसरा सं0 1620/653 रकबा 0.36 हैक्टयर किस्म बारानी– प्रथम गैर खातेदार मालुराम पुत्र दल्लाराम आज दिनांक तक काबिज नहीं है। मौके पर यह भूमि पहाडी के तलहटी में है। गैर खातेदार ने आज तक मौके पर कब्जा नहीं किया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2062–77 एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तोनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:45 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी का आराजी भूमि पर कभी कब्ज[illegible] हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार/नकल गिरदावरी प्र[illegible] पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं [illegible] तथ्य की पुष्टि [illegible] है।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू ([illegible]) [illegible] नियम 04 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पाल[illegible] नहीं करने पर जिला

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

कलक्टर द्वारा आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम 14(3) के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटी को भूमि पर काश्त करनी होगी। उक्त नियमों के नियम 14(8)A के तहत भी यदि भूमि को निर्धारित अवधि में काश्त नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार में पुनः पुर्नगठित करने के प्रावधान है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात नियम 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकने का तर्क दिया है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी का स्टेट्स गैर खातेदारी अधिकार का ही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी मालुराम पुत्र दल्लाराम को किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा मारोठ के खसरा नम्बर 1620/653रकबा 0.36 हैक्टयर पर आवंटी/अप्रार्थी की दर्ज गैर खातेदारी/आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नावां को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 21.05.2024 को सुनाया गया।

21/5/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:45 IST
Reason: SelfAttested